

12.2 **शारीरिक मानक जाँच (पीएसटी)** : पीएसटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीईटी/ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। सिपाही (तकनीकी/ट्रेड्समैन) के पद के लिए शारीरिक मानक इस प्रकार हैं:

12.2.1 लंबाई :

पुरुष	महिला
170 सेमी	157 सेमी

12.2.1.1 जैसा की ऊपर उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थियों की कुछ श्रेणियों को लंबाई में छूट की अनुमति दी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में छूट का मानक इस प्रकार है:

क्र.सं	के लिए छूट	पुरुष (सेमी)	महिला (सेमी)
(ए)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	162.5	150.0
(बी)	पूर्वोत्तर राज्यों (एनई राज्य) के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	157.0	147.5
(सी)	वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों के सभी अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	160.0	147.5
(डी)	गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी	165.0	155.0
(इ)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी	162.5	152.5
(एफ)	गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) से आने वाले अभ्यर्थियों में दार्जिलिंग जिले के तीन उप-संभाग अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और इन जिलों के निम्नलिखित "मौजा" उप-संभाग शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बारचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटाअदलपुर (7)पहारू (8)सुकना वन (9) सुकना भाग1- (10)पंतापति वन-1 (11) महानदी वन	157.0	152.5

	(12) चंपासारी वन (13) सालबारीछत भाग-॥ (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल फॉरेस्ट (16) सिवोक फॉरेस्ट (17) छोटा चेंगा (18) निपनिया।		
--	--	--	--

12.2.1.2 **छाती** : पुरुष अभ्यर्थियों के सीने के माप के निम्नलिखित मानक होने चाहिए:

12.2.1.3 बिना फुलाये : 80 सेमी

12.2.1.4 न्यूनतम फैलाव: 5 सेमी

12.2.1.5 कुछ श्रेणियों के अभ्यर्थियों को सीना माप में छूट की अनुमति है। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सीना माप के छूट में मानक इस प्रकार हैं:

क्र.सं	के लिए छूट	बिना फुलाये (सेमी)	न्यूनतम फैलाव (सेमी)
(ए)	अनुसूचित जनजाति के सभी अभ्यर्थी	76	5
(बी)	गढ़वाली, कुमाऊँनी, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थी	78	5
(सी)	पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के अभ्यर्थी एवं गोरखा प्रादेशिक प्रशासन (जीटीए) से आने वाले अभ्यर्थियों में दार्जिलिंग जिले के तीन उप-संभाग अर्थात् दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुर्सियांग शामिल हैं और इन जिलों के निम्नलिखित "मौजा" उप-संभाग शामिल हैं: (1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बारचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटाअदलपुर (7)पहारू (8)सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10)पंतापति वन-1 (11) महानदी वन (12) चंपासारी वन	77	5

	(13) सालबारीछत भाग-॥ (14) सितोंग वन (15)सिवोक हिल फॉरेस्ट (16) सिवोक फॉरेस्ट (17)छोटा चेंगा (18)निपनिया।		
--	---	--	--

12.2.1.6 महिला अभ्यर्थियों के सीने का माप नहीं लिया जाएगा।

12.3 सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही भर्ती के अगले चरण यानी पीएसटी/पीईटी/ट्रेड टेस्ट और दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा जो सीआरपीएफ के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के समय अभ्यर्थियों की पात्रता/दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जाएगी। इसलिए, सीबीटी/पीएसटी/पीईटी/ट्रेड परीक्षा में उपस्थित होने से पहले समय-समय पर इस नोटिस में निर्धारित पात्रता को सत्यापित करना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी होगी। पीएसटी/पीईटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद पीएसटी/पीईटी/ट्रेड परीक्षा से गुजरना होगा। पीएसटी में लंबाई, वजन, सीना (जैसा लागू हो) का माप शामिल है।

12.3.1 पीएसटी/पीईटी के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में चुने गए भूतपूर्व सैनिकों को केवल लंबाई, सीना और वजन की माप के लिए पीएसटी/पीईटी में उपस्थित होना होगा। इन भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीएसटी/पीईटी में पूर्ण छूट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए पीईटी आयोजित नहीं किया जाएगा। **हालांकि, उन्हें ट्रेड टेस्ट और मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।**

12.4 **शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी):** अभ्यर्थियों को निम्नलिखित समय सीमा के भीतर पीईटी (दौड़) उत्तीर्ण करना होगा:

पद/ ट्रेड	पुरुष	महिला	टिप्पणियाँ
सिपाही/चालक सिपाही /मोटर मैकेनिक वाहन, सिपाही/माली, सिपाही/पेंटर, सिपाही /बढ़ई, सिपाही/ब्रास बैंड, सिपाही/पाइप बैंड, सिपाही/मोची, सिपाही/दर्जी और सिपाही /बिगुलर	24 मिनट में 05 किमी	8.30 मिनट में 1.6 किमी	लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए।
सिपाही/कुक/जलवाहक, सिपाही/ नाई और सिपाही/हेयर ड्रेसर, सिपाही/धोबी और सिपाही/धोबी महिला, सिपाही/सफाई कर्मचारी	10 मिनट में 1.6 किमी	12 मिनट में 1.6 किमी	लद्दाख क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों के अलावा अन्य अभ्यर्थियों के लिए।
<b>(पायनियर विंग के लिए)</b> सिपाही / मेसन, सिपाही / प्लम्बर, सिपाही / इलेक्ट्रीशियन	09 मिनट में 1.6 किमी	--	<b>सभी</b> अभ्यर्थियों के लिए।
<b>(पायनियर विंग के लिए)</b> सिपाही / मेसन, सिपाही / प्लम्बर, सिपाही / इलेक्ट्रीशियन	05 मिनट में 800 मीटर	--	लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए